न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/150 दायरा दिनांक : 06.09.2023

उनवान

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां, जिला बारां राजस्थान
2– सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग कोटा जिला कोटा राजस्थान

...अपीलान्ट

– बनाम–

1– पियुष शर्मा आयु 33 वर्ष पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 34 तिवारी जी की गली श्रीजी चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2– बृजलता शर्मा आयु 51 वर्ष पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 234 तिवारी जी की गली श्रीजी चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3– अपूर्वा आयु 37 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री भूपेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धरोनियां तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0
4– शिप्रा आयु 28 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री रोहन त्रिर्वेदी जाति ब्राहमण निवासी टीचर कॉलोनी नीमच जिला नीमच मध्यप्रदेश
5– आरती शर्मा आयु 38 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी कैथूनी पोल कोटा जिला कोटा राज0

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री चन्द्र प्रकाश मीना, अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.12.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी बारां के प्रकरण संख्या – 39/2021 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी विराजमान बारां की आराजी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां में खसरा नं. 279 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 284 रकबा 5.64 हेक्टर, खसरा नं. 286 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं. 287 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 289 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नं. 292 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 285/502 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 281/506 रकबा 0.21 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2022 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 4 व 5 ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विवादित आराजियात मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजान बारां के खातेदारी मे दर्ज है एवं पूर्व में भी मंदिर के नाम ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जो नाबालिग है। जिस पर किसी को हक व अधिकार प्राप्त नही होते है क्योकि देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर के सेवादार को पूजा, भोग, आरती, बिजली व पानी आदि व्यवस्था की जाती है एवं पुजारी को देवस्थान विभाग द्वारा वेतन दिया जाता है इसलिये पुजारी का देवस्थान विभाग मंदिर कल्याणराय जी महाराज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विराजमान बारां के खातेदारी की आराजियात पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित आराजियात पर सं0 2024 से पूर्व भी मंदिर कल्याणरायजी विराजमान बारां के खातेदारी मे दर्ज थी। केवल पुजारी का सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 मे देवस्थान विभाग के अधीन करके तहसीलदार बारां को प्रतिरक्षण अधिकृत कर उक्त आराजियात की काश्त व्यवस्था सम्भला दी। तब से तहसीलदार बारां द्वारा हर वर्ष उक्त आराजियात की बोली लगायी जाकर मुनाफा काश्त पर दी जाती थी तथा जो बोली की रकम आती है उसे देवस्थान विभाग अपीलान्ट कम 2 को भुगतान कर दी जाती थी।

रेस्पो०/वादीगण ने उक्त विवादित आराजियात बाबत एक दावा उपखण्ड अधिकारी महोदय बारां के यहाँ धारा 88,89,188 राज०टी०एक्ट के तहत मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश कर विश्वेश्वर दयाल पुत्र श्री निवास का 1/4 हिस्सा बताकर पेश किया है एवं रेस्पो/वादीगण द्वारा स्वर्गीय विश्वेश्वर दयाल को अपना दादाजी बताकर यह वाद पत्र पेश किया गया है जबकि उक्त वाद में रेस्पो०/वादीगण के पिता राजेन्द्र शर्मा को बाल्यअवस्था मे गोद जाना बताया है जिसका कोई दस्तावेज उक्त पत्रावली मे पेश नही किया गया है ना ही अपीलान्ट कम 2 को जवाब हेतु समय दिया गया है एवं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री करने में कानूनी भूल की है इसलिये निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बारां अप्राप्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजियात को सं0 2024 अर्थात 1992 से ही उक्त विवादित आराजियात को बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर दी जा रही है एवं वर्ष 2020 में भी उक्त आराजियात को 3,80,000/– रूपये में मुनाफा काश्त पर जुपायी थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बारां को रिसीवर हटाकर उक्त विवादित आराजियात को मात्र 90,400/– रूपये मुनाफा काश्त पर रेस्पो०/वादीगण को दे दी जिससे देवस्थान विभाग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडा एवं उक्त विवादित आराजियात रेस्पो०/वादीगण को विरासतन मे नही मिली है क्योकि उक्त विवादित आराजियात मंदिर श्री कल्याणराय विराजमान बारां के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही देकर उक्त वाद को निर्णित व डिक्री करने में कानूनी भूल की है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो०/वादीगण द्वारा मात्र एक रसीद संख्या 00036 दिनांक 28.07.2005 तहसीलदार बारां द्वारा 7000/– रूपये मे मुनाफा काश्त पर लेने को ही आधार मानकर रेस्पो०/वादीगण का कब्जा काश्त मानकर उक्त वाद को निर्णीत व डिक्री करने में भारी भूल की है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त विवादित्त आराजियात को मुनाफा काश्त पर देने के लिये देवस्थान विभाग अपीलान्ट कम 2 को अधिकार दिया जावे कि ग्राम उण्डा तहसील बारां मे श्री कल्याणरायजी विराजमान बारां की भूमि को स्वतंत्र रूप से खली बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर दे। जिससे भविष्य में कल्याणराय जी विराजमान बारां की भूमि को जुपाकर देवस्थान विभाग मंदिर की सेवा पूजा अर्चना व बिजली व अन्य सभी प्रकार से मंदिर की व्यवस्था व्यवस्थित कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादित आराजियात के दस्तावेज पर कोई ध्यान नहीं देकर मात्र 2000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से जमीन को मुनाफा काश्त पर रेस्पो/वादीगण को जुपा दिया गया है जबकि रेस्पोडेंट/वादीगण को अपीलान्ट कम 2 को सेवा पूजा आदि का खर्चा देवस्थान विभाग उठाता है केवल अधिनस्थ न्यायालय ने सेवा पूजा को ही आधार पर रेस्पो0/वादीगण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजियात को अपीलान्ट कम 1 को राज्य सरकार द्वारा मंदिर श्री कल्याणराय जी

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विराजमान बारां की आराजी वाके ग्राम उण्डा तहसील बारां की बोली लगाने के लिये रिसीवर नियुक्त किया गया है जो हर वर्ष उक्त विवादित आराजियात की नीलामी बोली लगायी जाती है वर्ष 2019–2020 में 2,33,250/– रूपये उक्त विवादित आराजियात की मुनाफा बोली पर दी थी। गत वर्ष बतौर 4,66,000/– रूपये पर दी थी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.2022 मिसल नं० 39/2021 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट कम 1 को रिसिवर नियुक्त कर उक्त विवादित आराजियात की खुली बोली हेतु अपीलान्ट कम 2 की उपस्थित मे लगवाने जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.07.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माफी मंदिर की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने 2023 में रिसीवर तहसीलदार को हटा के पीयूष को दे दी। पीयूष उज्जैन रहता है उसने कब्जा कर रखा है। दूसरे को मुनाफे में दे रखी है। 2024 में तहसीलदार ने 7,10,000 की बोली लगवाई। दिनांक 03.03.1993 में राजस्व अभियान में सभी मंदिरों की जमीनें मंदिर के नाम दर्ज कर दी और तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया है, सभी अतिकमियों को नोटिस जारी किये गये है। अपीलांट कोई निर्धारित पुजारी नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 05.07.2023 को नकल लेकर 14 माह बाद आवेदन किया। देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय में कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया गया और अब बिना किसी कानून के दस्तावेज पेश किये है। आराजी पर हम काबिज है। हमारे उज्जैन में रहे जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। सेटलमेंट ने हमारा नाम गलत तरीके से हटाकर आराजी मंदिर के नाम दर्ज कर दी है। 1944 से पहले की सभी जमाबंदियों में हमारा नाम अंकित है। मियाद के प्रश्न पर अपील खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने के कारण यथावत रखा जावे।

हमने अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज प्रमाणित एवं प्रकरण से संबंधित है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया कि ग्राम उण्डा तहसील बारां की प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 127 कुल किता 8 कुल रकबा 7.23 हेक्टर आराजी मंदिर श्री कल्याणरायजी स्थान देह विराजमान जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2010–13, 2018–21, 2030–33, 2034–37 में उक्त आराजी खातेदार माफी मंदिर कल्याणराय जी नाबालिग के रूप में दर्ज हो रही है जिसमें बतौर कृषक वादीगण के दादाजी विश्वेश्वर का नाम दर्ज हो रहा है। दिनांक 27–11–1992 को वादीगण के दादा जी के मृत्यु हो गयी। वादीगण के दादाजी स्व. विश्वेश्वर दयाल जी ने अपनी पुत्री के पुत्र राजेन्द्र शर्मा को बाल्यकाल में गोद लिया था। राजेन्द्र शर्मा की मृत्यु दिनांक 03–09–2020 को हुई है।

दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के दादाजी स्व0 श्री विश्वेश्वरदयाल जी का नाम खाते से हटाकर ग्राम उण्डा की आराजी मंदिर कल्याणरायजी के दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी पर सवंत् 2010 से वादीगण के दादाजी व उनका गोद पुत्र स्व. राजेन्द्र शर्मा निरंतर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे और उनके उत्तराधिकारी होने से वादीगण ग्राम उण्डा की वादी पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में बतौर खातेदार अपना नाम जुडवाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी कम 4 व 5 जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा निर्णय दिनांक 06.05.2022 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम उण्डा, तहसील बारां, जिला बारां में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता संख्या 127 में खसरा नं. 279 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 284 रकबा 5.64 है0 खसरा नं. 286 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 287 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 289 रकबा 0.48 है0, खसरा नं. 292 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 285/502 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 281/506 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 रकबा 7.23 हे0 भूमि पर काश्त करने हेतु वादीगण प्रतिवर्ष 2000/– प्रतिबीघा 30 जून तक तहसीलदार बारां के कार्यालय में कैश सिक्योरिटी राशि जमा कराने पर वादी द्वारा काश्त की जा सकती है। यदि वादी 30 जून तक कैश सिक्योरिटी राशि जमा कराने में असफल रहता है तो तहसीलदार उक्त भूमि को काश्त व्यवस्था सुनिश्चित करावे तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 4 व 5 द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजी मंदिरश्री कल्याणरायजी विराजमान बारां के खातेदारी में दर्ज है एवं पूर्व में भी मंदिर के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो नाबालिग है। जिस पर किसी को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर के सेवादार को पूजा, भोग, आरती, बिजली व पानी आदि व्यवस्था की जाती है एवं पुजारी को देवस्थान विभाग द्वारा वेतन दिया जाता है, इसलिए पुजारी का देवस्थान विभाग मंदिर कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के खातेदारी की आराजियात पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में देवस्थान विभाग के अधीन करके तहसीलदार बारां को प्रतिरक्षण अधिकृत कर उक्त आराजियात की काश्त व्यवस्था संभला दी। तब से तहसीलदार बारां द्वारा हर वर्ष उक्त आराजियात की बोली लगायी जाकर मुनाफा काश्त पर दी जाती थी तथा जो बोली की रकम आती है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसे देवस्थान विभाग अपीलांट क्रम 2 को भुगतान कर दी जाती थी। वर्ष 1992 से ही उक्त विवादित आराजी को बोली लगाकर मुनाफा काश्त पर दी जा रही है एवं वर्ष 2020 में भी उक्त आराजी को 3,80,000 रूपये में मुनाफा काश्त कर जुपाया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बारा को रिसीवर हटाकर उक्त विवादित आराजी को मात्र 90,400/– रूपये मुनाफा काश्त कर रेस्पोडेंट वादीगण को दे दी जिसे देवस्थान विभाग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं देकर उक्त वाद को निर्णित कर डिक्री करने में कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के अनुसार ग्राम उण्डा जमाबंदी संवत 2015–24 में कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी स्थान बारां **बअमहत पुजारी** कन्हैयालाल वल्द कल्याण हिस्सा 1/4 श्रीधर वल्द बजरंग हिस्सा 1/2, विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास हिस्सा 1/4 कौम ब्राहम्ण निवासी बारां कॉलम संख्या 4 में उपकृषक के रूप में धूली लाल वल्द उदा जाति मीना निवासी हनुवतखेडा तहसील अंता के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2030–33 में कॉलम नं. 4 में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी स्थान देय कॉलम संख्या 5 में विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास कौम ब्राहम्ण निवासी बारां के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2034–37 में कॉलम नं. 4 में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी स्थान देय कॉलम संख्या 5 में विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास कौम ब्राहम्ण निवासी बारां के नाम दर्ज है।

एक्जीविट नं. 5 जमाबंदी संवत 2030–33 में कॉलम नं. 4 से पुजारी के नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिये गये। तब से लेकर एक्जीविट 16 में प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी संवत् 2066–69 में भी पुजारी का नाम दर्ज नहीं है।

वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार तत्समय दर्ज पुजारी श्री विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास की मृत्यु दिनांक 27.11.1992 को हो चुकी थी एवं वादीगण के पिता श्री राजेन्द्र शर्मा को पुजारी श्री विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास द्वारा गोद लेना बताया है परंतु जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी भी प्रकार का गोदनामा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वादीगण के पिता श्री राजेन्द्र शर्मा की मृत्यु भी दिनांक 03.09.2020 को हो चुकी है।

दिनांक 24.05.2007 को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके **पैरा नम्बर 3 के अनुसार** मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहणों के साथ साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास खातेदार, पट्टेदार व खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरंतर दर्ज करते हुए खातेदारी निरंतर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये थे। तथा **पैरा नम्बर 4 के अनुसार** ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी, के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में खातेदार, पट्टेदार व खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरंतर खातेदार बने रहेंगे।

धारा 9 के अनुसार जागीर भूमि में खातेदारी अधिकार – **"जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार या अन्य के रूप में जिसमें यह अन्तरित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक एवं पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार कहलायेगा।"**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त परिपत्रों राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने की दिनांक तक यदि किसी का नाम खातेदार, पट्टेदार व खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज है तो भूमि में ही नाम निरंतर दर्ज करते हुए खातेदारी निरंतर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये। वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत् 2015–24 में कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री कल्याणरायजी स्थान बारां बअमहद पुजारी कन्हैयालाल वल्द कल्याण हिस्सा 1/4 श्रीधर वल्द बजरंग हिस्सा 1/2, विश्वेश्वर वल्द श्रीनिवास हिस्सा 1/4 कौम ब्राहम्ण निवासी बारां कॉलम संख्या 4 में उपकृषक के रूप में धूली लाल वल्द उदा जाति मीना निवासी हनुवतखेडा तहसील अंता के नाम दर्ज है।

मंदिर शाश्वत नाबालिग है एवं स्वयं काश्त नहीं कर सकता तथा उन्हें भरण पोषण के लिए मंदिर की जमीन किसी ना किसी को काश्त पर दी जानी थी। पुजारी विश्वेश्वर तत्समय पुजारी के रूप में रिकार्ड पर था। पुजारी विश्वेश्वर का नाम सवंत् 2030–33 की जमाबंदी के कॉलम नं. 4 से हटा दिया गया है। **इस प्रकार भूमि में पुजारी विश्वेश्वर का नाम राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय खातेदार, पट्टेदार व खादिमदार के रूप में नाम दर्ज नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।**

विवादग्रस्त आराजी तहसीलदार के रिसीवरी मे होने के कारण इसका व्यवस्थापन कार्य नियमित रूप से तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है। पत्रावली में पिछले 6 वर्षों में की गयी नीलामी की सूचना सलंग्न है जो निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2023–24 में राशि 710000/–
वर्ष 2022–23 में राशि 500000/–
वर्ष 2021–22 में राशि 466000/–
वर्ष 2021–22 से पूर्व के तीन वर्षों की औसत राशि 394000/–

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.2022 के अनुसार विवादित आराजी की 2000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 1 वर्ष की कैश सिक्योरिटी 89600/– रूपये होती है जबकि वर्ष 2023–24 में राशि 710000/– रूपये मुनाफा काश्त से प्राप्त हुए। इस प्रकार वादी को कैश सिक्योरिटी के आधार पर भूमि काश्त के लिए दी जाती है तो तकरीबन 620400/– रूपये प्रतिवर्ष राजस्व हानि होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2022 को खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 अपास्त किया जाता है। तहसीलदारा बारां पूर्व की भांति विवादित आराजी को रिसीवरी में लेकर पूर्वानुसार ही सार्वजनिक नीलामी के द्वारा मुनाफा काश्त में दिये जाने की कार्यवाही कराते हुए नीलामी से प्राप्त मुनाफा काश्त की राशि को नियमानुसार देवस्थान विभाग में जमा करावे। रेस्पोडेंटगण उक्त नीलामी में नियमानुसार बोली लगाये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां, जिला बारां राजस्थान
2– सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग कोटा जिला कोटा राजस्थान

.... **अपीलांट**

बनाम

1– पियुष शर्मा आयु 33 वर्ष पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 34 तिवारी जी की गली श्रीजी चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2– बृजलता शर्मा आयु 51 वर्ष पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 234 तिवारी जी की गली श्रीजी चौक बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3– अपूर्वा आयु 37 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री भूपेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धरोनियां तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0
4– शिप्रा आयु 28 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री रोहन त्रिवेदी जाति ब्राहमण निवासी टीचर कॉलोनी नीमच जिला नीमच मध्यप्रदेश
5– आरती शर्मा आयु 38 वर्ष पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी कैथूनी पोल कोटा जिला कोटा राज0

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/150**
मु.द.नं0 **39/2021**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **06.05.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20 माह 11** सन् **2024**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीना,** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **धर्मेन्द्र चौधरी**, अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 व 2 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.05.2022 अपास्त किया जाता है। तहसीलदारा बारां पूर्व की भांति विवादित आराजी को रिसीवरी में लेकर पूर्वानुसार ही सार्वजनिक नीलामी के द्वारा मुनाफा काश्त में दिये जाने की कार्यवाही कराते हुए नीलामी से प्राप्त मुनाफा काश्त की राशि को नियमानुसार देवस्थान विभाग में जमा करावे। रेस्पोडेंटगण उक्त नीलामी में नियमानुसार बोली लगाये जाने हेतु स्वतंत्र है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)